

कार्यालय:- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय (राज.)

क्रमांक:-स्टोर / 2024 / ७३

दिनांक:-09.02.2024

निविदा सूचना

बनीपार्क स्थित जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय के परिसर में गेट न. 1 से 4 तक की सड़क एवं उसके बांधी ओर स्थित भवन एवं सम्पूर्ण परिसर (पार्किंग, लिफ्ट्स सहित) इत्यादि का सफाई/स्वच्छता व्यवस्था कार्य वर्ष 2024-2025 की अवधि (01.04.2024 से 31.03.2025) अनुमानित लागत रुपये 09.50 लाख वार्षिक (समस्त कर सहित) के लिए दर संविदा सम्पादित करने हेतु पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों/संस्थाओं से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 16.02.2024 को अपराह्न 01.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस को रु. 200/- का नकद भुगतान कर लेखा शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई सील बंद निविदा दिनांक 16.02.2023 को अपराह्न 03.00 बजे तक लेखा शाखा, कमरा नम्बर-628, नई विल्डिंग, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय के समक्ष पेश की जा सकेंगी जो दिनांक 16.02.2024 को अपराह्न 4:30 उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। सफाई कार्य एवं निविदा की शर्तों का पूर्ण विवरण लेखा शाखा में किसी भी कार्यदिवस को देखा जा सकता है। निविदा के साथ दो प्रतिशत अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के पक्ष में देय, पेश करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें वित्त विभाग की वेब साईट <https://sppp.rajasthan.gov.in/> पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड की गई प्रत्येक निविदा के लिये रु. 200/- का बैंक ड्राफ्ट/चालान/नगद रसीद अलग से संलग्न करना होगा।

अध्यक्ष

जल एवं स्वच्छता व्यवस्था समिति
एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कम 04, जयपुर महानगर-द्वितीय।

क्रमांक:- ७५ १० ७७

दिनांक:-09.02.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय जयपुर महानगर-द्वितीय।
- 2 सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि इसे जिला न्यायालय की वैबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 3 समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय।
- 4 नोटिस बोर्ड।

अध्यक्ष

जल एवं स्वच्छता व्यवस्था समिति
एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
कम 04, जयपुर महानगर-द्वितीय।

निविदा का प्रारूप)

निविदा शुल्क रु- 200/-

(वापसी योग्य नहीं)

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

कार्य का नाम :-जिला न्यायालय परिसर जयपुर महानगर-द्वितीय में गेट नं. 1 से 4 की सड़क एवं उसके बायीं ओर स्थित भवन एवं सम्पूर्ण परिसर इत्यादि का सफाई/स्वच्छता व्यवस्था वर्ष 2024-2025

निविदा क्रमांक दिनांक 09.02.2023

निविदा की अनुमानित लागत रु. 09.50 लाख वार्षिक

सीलबन्द निविदा जमा कराने का स्थान—लेखाशाखा, कमरा नम्बर—628, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

निविदा जारी करने का अंतिम समय एवं दिनांक 16.02.2024 (1.00 पी.एम.)

भरी हुई निविदा प्राप्ति तिथि व समय दि. 16.02.2024 (03.00 पीएम)

निविदा खोलने की तिथि व समय दि. 16.02.2024 (04.30 पी.एम)

नाम आवेदक (ठेकेदार) / फर्म

पुत्र श्री

जाति निवासी

फोन नम्बर सोबाईल नम्बर

वर्तमान पूर्ण पता

अमानता राशि 19000/- (शब्दों में) (रुपये उन्नीस हजार मात्र)

बैंक ड्राफ्ट नं. दिनांक बैंक का नाम

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
पूरा नाम मय फर्म की सील

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र श्री
जाति निवासी (रस्थाई पता)

वर्तमान पता

यह

घोषणा करता हूँ कि मैंने जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय के वर्ष 2024-2025
हेतु दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लिए सफाई/स्वच्छता हेतु जारी निविदा की सम्पूर्ण
शर्तों को पूरी तरह पढ़ लिया है। मैं उक्त निविदा की सम्पूर्ण शर्तों से पूरी तरह सहमत हूँ तथा मैं
उक्त सम्पूर्ण शर्तों के साथ पूरी निष्ठा एवं इमानदारी के साथ कार्य करने को सहमत हूँ।

(प्रोपाइटर/आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)

बोलीदाता द्वारा घोषणा/शपथ पत्र

(50/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सेवाओं के लिए बोली दी है, उनके पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूँ/हैं तथा सेवा आपूर्ति में विगत 5 वर्षों में आपूर्ति सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे द्वारा दी गई सूचना, तथ्य, प्रमाण-पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्णरूप में सम्पहत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर



परिशिष्ट-ए

जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय
तकनीकी निविदा मानदण्ड सफाई निविदा वर्ष 2024-25
निविदा सूचना संख्या- दिनांक

क्र. सं.	विवरण	रजि. संख्या, वर्ष, पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
01	संवेदक / फर्म / संस्था / श्रम विभाग से रजिस्टर्ड व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता		
02	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)		
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें		
04	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें		
05	संवेदक का वस्तु एवं सेवा कर जी एस टी नम्बर प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें		
06	संवेदक का पेन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें		
07	गत दो वर्षों का सी.ए. द्वारा प्रमाणित औसत वार्षिक टर्न-ऑवर जो 10 लाख से अधिक का हो		
08	संवेदक / फर्म का ई-मेल, मोबाइल नम्बर व पूर्ण पता		
09	सेवादाता संस्था / फर्म / कान्ट्रेक्टर कम्पनी के लैंक लिस्ट न होने का शपथ पत्र		
10	अधिकृत बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तों सहित)		
11	सरकारी संस्था / निगम / बोर्ड आदि में कार्य करने का गत दो वर्षों का कार्यानुभव		

बोलीदाता के हस्ताक्षर



सफाई/स्वच्छता कार्य संबंधी अनुदेश एवं शर्तें निविदा वर्ष 2024–25

- 01 अनुमोदित ठेकेदार द्वारा बनीपार्क स्थित जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय में गेट न. 1 से गेट न. 4 की सड़क एवं उसके बांधी ओर स्थित सम्पूर्ण परिसर जिसमें मुख्य रूप से बहुमंजिला नवीन न्यायालय परिसर मय पार्किंग एवं समस्त लिफ्ट, पी. डब्ल्यू.डी. ॲफिस, पोस्ट ॲफिस, बार एसोसियेशन भवन, एम.ए.सी.टी. न्यायालय एवं भवन, एन.डी.पी.एस. न्यायालय एवं भवन, उपभोक्ता न्यायालय एवं भवन, कैटीन, चालानी गार्ड रूम, डिस्पेंसरी तथा पक्षकार दीर्घा आदि निर्मित हैं, की सफाई का कार्य करना होगा। लिफ्टों, कॉरीडोरों, गलियारों में न्यायालय समय प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व व न्यायालय समय के दौरान दिन में यथासंभव दो बार एवं आवश्यकतानुसार गीला पौछा फिर सूखा पौछा लगाना होगा जो कि विजली की मशीन से ठेकेदार लगवायेगा व सफाई कार्य में उचित मात्रा में फिनाईल, साबुन के पानी का धोल आदि का उपयोग करना होगा।
02. जिला न्यायालय के उपरोक्तानुसार परिसर में स्थित भवन, बैसमेन्ट्स, सभी पार्किंग, रोड, कमरों के टॉयलेट्स, कॉरीडोर्स, पोर्च व सम्पूर्ण परिसर की सफाई न्यायालय समय प्रारंभ होने के एक घण्टे पूर्व तक नियमित रूप से की जानी होगी व नियमित रूप से फिनिट का स्प्रे कार्य करना होगा।
03. इस परिसर में स्थित सभी न्यायालयों के चैम्बर्स एवं शाखाओं में स्थित शौचालयों एवं बाथरूमों की सफाई एवं धुलाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा। शौचालयों एवं बाथरूमों की सफाई एवं धुलाई साबुन के पानी एवं फिनाईल के उपयोग से करनी होगी। शौचालयों/बाथरूम में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग एवं समय पर एसिड से सफाई तथा सफाई का पाउडर जैसे विम, सर्फ आदि का प्रयोग भी करना होगा।
04. भवन की समस्त सीढ़ियों एवं सीढ़ियों की रेलिंग, पोर्च एवं भवन में स्थित रैलिंग्स की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी।
05. भवन के समस्त पोर्च, खिडकियों के शीशे, खिडकियों के वेस, अन्य समस्त दरवाजों एवं खिडकियों की सफाई प्रत्येक सप्ताह में एक बार करनी होगी। यह सफाई कार्य कार्यालय समय में ही करने होंगे।
06. उक्त न्यायालय भवन की छत की सफाई का कार्य भी सप्ताह में दो बार करना होगा एवं जो दो मंजिला अंडर ग्राउण्ड पार्किंग है, उसकी सफाई वैक्युम क्लीनर से करनी होगी।
07. भवन में रखी गई टॉयलेट्स की पानी की टंकियों की सफाई निर्देशानुसार अवश्य करनी होगी।
08. समस्त तलों पर स्थित थूकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें मिट्टी तथा राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।

- 09 भवन के समस्त तलों पर स्थापित नोटिस बोर्ड एवं चार्ट की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी।
- 10 समस्त तलों व परिसर की सफाई करने के पश्चात कूड़ा-करकट एवं कवरे को दिन में तीन बार उचित स्थान पर परिसर से बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।
- 11 परिसर में जिन अवकाशागारों एवं कमरों में कारपेट लगे हैं, उनकी नियमित सफाई वैक्यूम विलनर से करनी होगी।
- 12 परिसर में खाली कच्ची भूमि पर जो भी जंगली घास हो, को समय-समय पर हटाना होगा।
- 13 सफाई कर्मियों की यूनिफार्म नीले रंग की होगी तथा यूनिफार्म की व्यवस्था ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी।
- 14 न्यायालय में ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुपरवाईजर का नाम और उसका मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जायेगा और उसके बदलने से पूर्व एक माह पहले सूचना दी जायेगी।
- 15 ठेकेदार अथवा उसका एक प्रतिनिधि/सुपरवाईजर न्यायालय समय से एक घण्टा पूर्व से न्यायालय समय समाप्त होने के एक घंटे बाद तक उपलब्ध रहेगा। कार्यालय समय में कार्य के आधार पर सफाई बिल का भुगतान किया जावेगा।
- 16 परिसर में प्रत्येक दिन सफाईकर्मी नीले रंग की यूनिफार्म में अपनी आई.डी. सहित न्यायालय समय आरम्भ से न्यायालय समाप्ति तक सहायक नाजिर की देख-रेख में उपस्थित रहेंगे तथा समय-समय पर कमरों के सामने कचरा पात्रों में फेंके गये कचरे को हटाते रहेंगे। जो सफाई कर्मचारी अवकाशागार के टॉयलेट्स की सफाई करने जायेगा, ठेकेदार द्वारा उस कर्मचारी को परिचय-पत्र उपलब्ध कराया जावेगा। महिला अवकाशागार के टॉयलेट्स की सफाई का कार्य महिला सफाई कर्मचारी द्वारा ही किया जावेगा।
- 17 श्रम नियमों के अनुसार सफाईकर्मी की कार्य दशाएं निर्धारित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
- 18 राजकीय अवकाशों एवं आकस्मिक आवश्यकताओं के दिनों में निविदादाता को सफाईकर्मी उपलब्ध कराने होंगे तथा अवकाशों के दिनों में भी समस्त परिसर की सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
- 19 सफाईकर्मी सामान्यकाल में प्रातः 08:00 बजे तथा ग्रीष्मकालीन समय में प्रातः 6:00 बजे जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष सफाई कार्य हेतु परिसर में रहेंगे।
- 20 निविदा में ठेके की दरें सामग्री सहित उल्लेखित करनी होंगी।

- 21 सफाई सामग्री में अगर किसी प्रकार की गिलावट पाई गई तो सामग्री जब्त कर ठेके को रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी, सफाई के काम में आने वाली समस्त सामग्री अच्छी किस्म की होना आवश्यक है।
- 22 मकड़ी के जालों की सफाई, दीवारों पर रीलन की पपड़ी आदि की सफाई भी नियमित रूप से करनी होगी।
- 23 टॉयलेट एवं बाथरूमों का सामान सफाई करने से पहले सफाईकर्मी को सही रूप से संभलाया जायेगा। सफाई के दौरान यदि किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो उसकी दुरुस्तगी व मरम्मत ठेकेदार द्वारा अतिशीघ्र करवाई जावेगी। यदि किसी कारण से ठेकेदार असमर्थ रहता है तो टूट-फूट ठीक कराई जाकर खर्चा ठेकेदार से बसूल किया जावेगा।
- 24 यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर महानगर-द्वितीय का निर्णय अंतिम होगा।
- 25 निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर, सफाई कार्य में चूक/कमी पायी जाने या निर्धारित सं0 में सफाईकर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने पर अध्यक्ष जल एवं स्वच्छता व्यवस्था समिति के स्तर से प्रथम नोटिस पर मासिक भुगतान की 25 प्रतिशत राशि, अगले नोटिस पर 50 प्रतिशत राशि की कटौती की जावेगी परंतु श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संवेदक द्वारा श्रमिक के बैंक खाते में आवश्यक रूप से किया जावेगा, उसके उपरांत भी सफाई कार्य में सुधार नहीं किये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जप्त कर फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 26 यदि ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से शर्तों के अनुसार सफाई नहीं की जाती है या खेच्छा से ठेकेदार काम नहीं करता है या ठेकेदार द्वारा किये गये सफाई कार्य के संतोषजनक न होने की दशा में यदि उसके नाम से ठेका निरस्त किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम फर्म को ठेका दिया जा सकता है एवं प्रथम ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर ली जायेगी।
- 27 ठेके को कभी भी रद्द करने का अधिकार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय में निहित रहेगा तथा न्यूनतम दरें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। निविदादाता फर्म के अनुभव एवं गुणावगुण का भी ध्यान रखा जावेगा।
- 28 किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियों ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर महानगर-द्वितीय स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थानों पर नहीं।

- 29 पेश किये जाने वाले निविदा में यह भी अंकित किया जाये कि उपरोक्त निविदा से संबंधित उपबंध एवं शर्तों को पढ़ लिया गया है और सभी उपबंध/शर्तें स्वीकार्य हैं तथा जिला न्यायालय परिसर व इसमें स्थित भवनों की सफाई कार्य (दिये गए विवरण के अनुसार) सामग्री सहित निविदा के संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जाए।
- 30 उपरोक्त सफाई कार्य हेतु 12 पार्टटाईम सफाईकर्मी, व 01 फुलटाईम सफाईकर्मी तथा 01 सुपरवाईजर की प्रतिदिन व्यवस्था करनी होगी। सामान्य न्यायालय समय (प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे) के दौरान 12 पार्टटाईम सफाईकर्मी सुबह 08 बजे से 12 बजे तक तथा 01 फुलटाईम सफाईकर्मी सुबह 10 बजे से शाम 06 बजे तक उपस्थित होकर सुपरवाईजर की देखरेख में नियमित रूप से सफाईकार्य करेंगे। प्रातःकालीन न्यायालय समय (सुबह 07:30 से दोपहर 01:00 बजे तक) के दौरान 12 सफाई कर्मी सुबह 06 बजे से 10 बजे तक तथा 01 फुल टाईम सफाईकर्मी सुबह 07 बजे से दोपहर 03 बजे तक उपस्थित होकर सुपरवाईजर की देखरेख में नियमित रूप से सफाई कार्य करेंगे।
- 31 ठेकेदार द्वारा न्यायालय परिसर का कचरा उठाने के लिए न्यायालय के कचरापात्र काम में नहीं लिए जाएंगे। उसे अपना स्वयं का साधन काम में लेना होगा। न्यायालय के डस्टबिनों को नुकसान पहुंचाने पर वसूली ठेकेदार से की जायेगी। डस्टबिन के कचरा ट्रॉली में डालकर डंपिंग स्टेशन तक ले जाया जायेगा। डस्टबिन को नहीं घसीटा जायेगा।
- 32 बरामदो कॉरीडोर्स इत्यादि की सफाई उपरान्त पौँछा मशीन द्वारा एक दिन छोड़कर एक दिन नियमित रूप से पौँछा लगाया जायेगा।
- 33 कारपेट, कोनो तथा खिड़कियों आदि की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जायेगा।
- 34 मैन बिल्डिंग की सीवरेज लाईन चौक होने पर इनको ठेकेदार के स्तर से क्लीयर कराया जायेगा।
- 35 वैक्यूम क्लीनर, स्प्रे मशीन, पौँछा मशीन, कचरा पात्र, ट्रॉली एवं आवश्यक कंज्यूमेबल सफाई में काम में आने वाली सामग्री की व्यवस्था संवेदक द्वारा अपने स्तर पर करनी होगी। जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 36 छज्जे रोड (फाइबर शीट) प्याऊ आदि की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होंगी।
- 37 ठेका प्रारंभ होने से पूर्व चयनित ठेकदार/फर्म को सफाई व्यवस्था निहित करने के लिये इस्तेमाल में आने वाली सफाई मशीन या सभी सफाई सामान की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

- 38 उपस्थिति हेतु सफाईकर्मियों का उपरिथित करनें की जिम्मेदारी ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की होंगी।
- 39 ठेकेदार द्वारा बीच अवधि में ही सफाई कार्य बंद कर देने पर आकर्षित व्यवस्था के बतौर अथवा आगामी व्यवस्था रखापित करने पर सफाई कार्य ठेकेदार के रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जाएगा, जिसके लिए स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होंगा।
- 40 सफाई कर्मियों तथा उनकी मौजूदगी का औचक निरीक्षण प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा सहायक नाजीर द्वारा भुगतान हेतु मासिक व्योरा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।



निविदा संबंधी अन्य शर्तें

- 41 निविदा के परिशिष्ट-ए में दिए गए तकनीकी निविदा मानदण्ड आवश्यक है। परिशिष्ट-ए की तालिका अनुसार संबंधित समस्त प्रमाण-पत्र क्रमानुसार निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करें। तकनीकी मानदण्ड पर असफल बोलीदाता की वित्तीय निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 42 निविदा में परिशिष्ट-बी में दी गयी तालिकानुसार दी गयी दरों का तालिका में भरकर विवरण प्रस्तुत करें।
- 43 निविदा में बताए गए श्रमिकों की संख्या के अनुसार उनका पारिश्रमिक नियमानुसार उनके बैंक खाते में तथा उनके ईपीएफ/ ईएसआई के अंशदान से संबंधित मासिक रूप से अंशदान का प्रमाण-पत्र बिल के साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा। प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करने की दशा में बिल पारित नहीं किया जाएगा।
- 44 निविदा में अंकित शर्तों के अलावा राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा आरटीटीपी एक्ट, 2012 नियम 2013 के अनुसार नियम लागू होंगे।
- 45 निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय में निहित रहेगा।
46. निविदा में दी गयी समस्त शर्तों में संशोधन का अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 47 ठेकेदारों को जिनको पूर्व में राजकीय विभागों/कार्यालयों/अर्द्ध शासकीय कार्यालयों भवनों का व बहुमंजिला ए क्लास भवनों में सफाई कार्य का तीन वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी इस हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 48 उत्कृष्ट अनुभव के अभाव में टेण्डर स्वीकृत करने/नहीं करने का अधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर-द्वितीय को या उनके द्वारा प्राधिकृत समिति को होगा।
- 49 ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
50. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जाये, दरों पर कांट छांट अथवा ओवर राईटिंग न हो तथा दरें साफ स्थाही से शब्दों में एवं अंकों में अंकित की जाये एवं निविदादाता द्वारा प्रत्येक त्रुटि (यदि कोई हो) पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायें।
51. वित्तीय निविदाएं पैसों में अंकित नहीं करें। वित्तीय निविदा ऋणात्मक एवं शून्य अंकित नहीं करें।

52. सशर्त निविदा दरे स्वीकार नहीं की जायेगी।
53. बोलियों का अपवर्जन :- अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
54. सफल निविदादाता फर्म/फर्मों को नियमानुसार एक अनुबन्ध पत्र का निष्पादन स्वयं के खर्च पर सूचित किये जाने पर 07 दिवस में संपादित करना होगा।
55. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
56. आन्तरिक व बाह्य लिफाफे पर :-
बोली लगाने वाले का नाम और पूर्ण पता और दूरभाष नं0, उपापन संस्था का पूर्ण पता, निविदा सं0, दिनांक व कार्य का नाम, बोली खोलने के लिए समय और तारीख से पूर्व नहीं खोलने की चेतावनी अंकित करनी होगी।
57. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)
बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा:-
क. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को बापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
ख. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
ग. जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
घ. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :-
अ. बोली आमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम 500/-रु0) के बराबर राशि के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
ब. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
स. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
58. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit) :-
कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरन किया जा सकेगा
क. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

59. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

(प्रोपाईटर/ आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)



जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय (राज.)

वितीय निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या दिनांक
 बोलीदाता का नाम
 मोबाइल नं
 पता

क्र. सं	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी				ईपीएफ दर प्रतिशत 13.00	ईएसआई दर प्रतिशत 3.25	कुल राशि (प्रति माह प्रति श्रमिक)	कुल राशि (प्रति माह)	समग्री की राशि एवं उपकरण किराया प्रतिमाह रूपये में	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह रूपये में)	कुल राशि रूपये (प्रति माह)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सफाई कार्य	श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति माह प्रति ईकाइ रूपये)	श्रमिकों की संख्या	राशि (प्रतिमाह रूपये)					7828+ 47148 +8554			
		अकुशल (फुल टाइम)	259	1	6734	875	219	7828	7828	63530			
		अकुशल (पार्ट टाइम)	130	12	40560	5273	1318	3929	47148				
		कुशल	283	1	7358	957	239	8554	8554				

- 1. उपर्युक्त तालिका के सतम्भ संख्या 1 से 11 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर अपलब्ध कराई गई हैं तथा केवल स्तम्भ संख्या 1, 13 व 14 में ही बोलीदाता द्वारा राशि अंकित की जायेगी।
- 2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- 3. दरें ऋणात्मक, शून्य या पैसों में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

बोलीदाता के नाम व हस्ताक्षर मयमोहर